मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1550
09.02.2026 को उत्तर के लिए

अवैध निर्वनीकरण

1550. श्री अरुण कुमार सागर:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि देश में अवैध वनों की कटाई पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है;
(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार वन क्षेत्र में कमी के प्रतिशत का ब्यौरा क्या है;
(ग) निर्वनीकरण को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और
(घ) वर्तमान तिथि तक और पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान निर्वनीकरण के संबंध में संबंधित राज्य सरकारों के साथ हुई चर्चाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) तथा (ख): वन संरक्षण और प्रबंधन मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की जिम्मेदारी है। देश के वन संसाधनों की सुरक्षा और प्रबंधन के लिए कानूनी ढांचे हैं जिनमें भारतीय वन अधिनियम 1927, वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 और राज्य वन अधिनियम, वृक्ष संरक्षण अधिनियम और नियम आदि शामिल हैं। राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन इन अधिनियमों/नियमों के तहत बनाए गए प्रावधानों के तहत वन और वृक्ष संसाधनों की सुरक्षा करने और वनों की कटाई को रोकने के लिए उचित कार्रवाई करते हैं।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक संगठन, भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई), देहरादून, द्विवार्षिक रूप से देश के वन और वृक्ष आवरण का आकलन करता है और इसके निष्कर्ष भारत राज्य वन रिपोर्ट (आईएसएफआर) में प्रकाशित किए जाते हैं। वन आवरण आकलन एक व्यापक मानचित्रण प्रणाली है जो राष्ट्रीय वन सूची से गहन जमीनी सत्यापन और क्षेत्र डाटा द्वारा समर्थित है।

आईएसएफआर 2023 के अनुसार, देश का वन और वृक्ष आवरण 8,27,356.95 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है। नवीनतम आईएसएफआर 2023 के अनुसार, देश के कुल

वन और वृक्ष आवरण में पिछले आईएसएफआर 2021 के आकलन की तुलना में 1,445.81 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। देश में वन आवरण का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(ग) तथा (घ): मंत्रालय देश में वनों के संरक्षण, सुरक्षा और सतत प्रबंधन सहित वन और वृक्ष आवरण बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इनमें, अन्य बातों के अलावा, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (जीआईएम), नगर वन योजना (एनवीवाई), तटरेखा पर्यावासों और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल (मिष्टी), प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (काम्पा), वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास, और वन अग्नि रोकथाम तथा प्रबंधन योजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र अपनी पारिस्थितिक, जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार राज्य-विशिष्ट वनीकरण, पुनर्वनीकरण और वन संरक्षण योजनाओं को लागू करते हैं।

इसके अलावा, विश्व पर्यावरण दिवस 2024 के अवसर पर और वर्तमान वर्ष में भी पूरे देश में वृक्षारोपण कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए एक वृक्षारोपण अभियान "एक पेड़ माँ के नाम #Plant4 Mother" भी शुरू किया गया है। यह अभियान देश में हरित आवरण बढ़ाने के लिए सभी हितधारकों की भागीदारी के साथ "संपूर्ण सरकार" और "संपूर्ण समाज" दृष्टिकोण का अनुसरण करता है। इस अभियान ने देश में हरित आवरण को बढ़ाने में मदद करते हुए बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण में योगदान दिया है।

वनों के संरक्षण, प्रबंधन और वनों की कटाई से संबंधित मामलों की समीक्षा मौजूदा संस्थागत तंत्रों के माध्यम से की जाती है। विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के तहत राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा प्रस्तुत प्रगति और उपयोग की रिपोर्टों की जांच और वार्षिक योजनाओं के अनुमोदन के माध्यम से कार्यकलापों की निगरानी और समीक्षा की जाती है। कार्यकलापों का कार्यान्वयन और लागू अधिनियमों तथा नियमों का अनुपालन संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है।

*****

अनुलग्नक

'अवैध निर्वनीकरण' के संबंध में श्री अरुण कुमार सागर द्वारा दिनांक 09.02.2026 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1550 के (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

वर्ष 2023 तक वन क्षेत्र का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण

(क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	भौगोलिक क्षेत्र	आईएसएफआर 2021 के अनुसार वन आवरण	आईएसएफआर 2023 के अनुसार वन आवरण	आईएसएफआर 2021 और आईएसएफआर 2023 के बीच वन आवरण में परिवर्तन
1.	आंध्र प्रदेश	1,62,968.00	30,223.62	30,084.96	- 138.66
2.	अरुणाचल प्रदेश	83,743.00	65,972.74	65,881.57	- 91.17
3.	असम	78,438.00	28,325.31	28,313.55	- 11.76
4.	बिहार	94,163.00	7,403.26	7,532.45	129.19
5.	छत्तीसगढ	1,35,192.00	55,830.88	55,811.75	- 19.13
6.	दिल्ली	1,483.00	195.36	195.28	- 0.08
7.	गोवा	3,702.00	2,267.22	2,265.72	- 1.50
8.	गुजरात	1,96,244.00	14,836.57	15,016.64	180.07
9.	हरियाणा	44,212.00	1,628.22	1,614.26	- 13.96
10.	हिमाचल प्रदेश	55,673.00	15,525.62	15,580.35	54.73
11.	झारखंड	79,716.00	23,706.97	23,765.78	58.81
12.	कर्नाटक	1,91,791.00	39,106.57	39,254.27	147.70
13.	केरल	38,852.00	21,925.94	22,059.36	133.42
14.	मध्य प्रदेश	3,08,252.00	77,444.98	77,073.44	- 371.54
15.	महाराष्ट्र	3,07,713.00	50,913.00	50,858.53	- 54.47
16.	मणिपुर	22,327.00	16,640.29	16,585.46	- 54.83
17.	मेघालय	22,429.00	16,996.84	16,966.84	- 30.00
18.	मिजोरम	21,081.00	17,748.73	17,990.46	241.73
19.	नागालैंड	16,579.00	12,274.36	12,222.47	- 51.89
20.	ओडिशा	1,55,707.00	52,281.67	52,433.56	151.89
21.	पंजाब	50,362.00	1,846.54	1,846.09	- 0.45
22.	राजस्थान	3,42,239.00	16,632.01	16,548.21	- 83.80
23.	सिक्किम	7,096.00	3,353.21	3,358.40	5.19
24.	तमिलनाडु	1,30,060.00	26,511.18	26,450.22	- 60.96
25.	तेलंगाना	1,12,077.00	21,279.46	21,179.04	- 100.42
26.	त्रिपुरा	10,486.00	7,680.08	7,584.77	- 95.31
27.	उत्तर प्रदेश	2,40,928.00	14,927.37	15,045.80	118.43
28.	उत्तराखंड	53,483.00	24,326.81	24,303.83	- 22.98
29.	पश्चिम बंगाल	88,752.00	16,782.11	16,832.33	50.22
30.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	8,249.00	6,736.94	6,732.92	- 4.02

31.	चंडीगढ़	114.00	23.80	25.00	1.20
32.	दादरा और नगर हवेली #	602.00	225.94	225.62	- 0.32
33.	दमन और दीव #				
34.	जम्मू और कश्मीर	2,22,236.00	21,262.84	21,346.39	83.55
35.	लद्दाख		2,278.55	2,285.92	7.37
36.	लक्षद्वीप	30.00	27.06	27.06	0.00
37.	पुदुचेरी	490.00	44.15	44.31	0.16
	कुल योग	**32,87,469.00**	**7,15,186.20**	**7,15,342.61**	**156.41**

#आईएसएफआर 2021 से दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव को मिलाकर एक संघ राज्य क्षेत्र बना दिया गया है।